कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

क्रमांक :

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

निविदा-पत्र

ठेके का नाम : 1. हॉर्डिग्स विज्ञापन आदि / 2. पार्किंग स्टैण्ड शुल्क / 3. पशु पैंठ (छोटी–बड़ी रास)
निविदा का मूल्य ....निविदा मांगने का दिनांक ....
धरोहर राशि .... निविदा प्राप्ति का दिनांक ....
ठेके की अवधि – 2009–10 की शेष अवधि।

मैं / हम ....निवासी..
उपरोक्त ठेके की शर्तों का भली भांति अध्ययन पश्चात् सहमत हूँ तथा उक्त ठेके को अंकन..................................(शब्दों में) में वर्ष 2009–10 की शेष अवधि हेतु लेने को तैयार हूँ।

-: निर्धारित शर्तें :-

1. इस निविदा पत्र के साथ :–

अ) धरोहर राशि के रूप में 1,00,000 / – रूपये की एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के नाम बंधक हो, संलग्न करनी होगी। नगद धनराशि के सन्दर्भ में पालिका द्वारा जारी फार्म–5 रसीद भी मान्य होगी।

ब) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र (5,00,000 / – तक), पालिका एवं जिला प्रदर्शनी द्वारा जारी अदेय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र संलग्न करने होंगे।

2. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाता / निविदादाता के अतिरिक्त शेष समस्त बोलीदाता / निविदादाता के उपरोक्त अभिलेख तद् समय वापिस कर दिये जायेंगे तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाता / निविदादाता के अभिलेख बोर्ड द्वारा ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार वापिस किये जायेंगे।

3. सर्वाधिक बोलीदाता / निविदादाता को उसी दिन मूल्य का ½ भाग कार्यालय में जमा करना होगा धनराशि जमा न करने की स्थिति में बोलीदाता / निविदादाता की जमानत राशि जब्त कर के उसके स्थान पर द्वितीय बोलीदाता / निविदादाता तथा उसके (द्वितीय बोलीदाता / निविदादाता) द्वारा भी ½ राशि जमा न किये जाने की स्थिति में उसकी भी जमानत राशि जब्त करते हुए तीसरे बोलीदाता / निविदादाता को ठेका दिया जायेगा। शेष ½ राशि का भुगतान 6 बराबर किश्तों में प्रत्येक माह नवम्बर तक करना होगा। समय पर किश्तें जमा न करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

4. जमानत राशि का समायोजन अंतिम किश्तों में ही किया जायेगा।

5. यह कि निर्धारित समय पर किश्तों का भुगतान न करने की दशा में पालिका बोर्ड / अध्यक्ष द्वारा ठेका निरस्त करते हुए बकाया की वसेली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी।

6. यह कि ठेकेदार नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर की वर्तमान प्रचलित उपविधि अनुसार ही संबंधित मद का शुल्क वसूलेगा तथा समय समय पर शासन / प्रशासन / पालिका बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी करना होगा।

7. यह कि राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्यों से नगर में भ्रमण करने वाले टैम्पू, टैक्सी, मिनी बस, थ्री व्हीलर एवं रेहड़ी तांगा से अथवा हॉर्डिग्स बोर्ड आदि (जो भी लागू हो) से ठेकेदार शुल्क वसूल नहीं करेगा।

8. यह कि पालिका द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी समय समय पर पालिका सीमा में शुल्क वसूल आदि का निरीक्षण करेंगे तथा इस सम्बन्ध में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. यह कि ठेकेदार को ठेके की कुल राशि पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्रों पर स्वयं के खर्चे से स्वीकृति के तुरन्त बाद अनुबंध कराना होगा।

10. यह कि ठेके स्वीकृति के पूर्व अथवा पालिका या ठेकेदार एवं शुल्क दाता के मध्य वसूली सम्बन्धी विवादों पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष / बोर्ड को होगा। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी बिना कारण बताये ठेका भी निरस्त किया जा सकता है।

11. यह कि ठेकेदार स्वयं के तथा अपने अभिकर्मकों की पहचान हेतु दो नवीनतम फोटो मय पते के उपलब्ध करायेगा।

12. यह कि वर्ष में कभी भी उपरोक्त शर्तों में संशोधन / परिवर्तन आदि का अधिकार अध्यक्ष / बोर्ड का होगा।

13. यह कि ठेके की अवधि स्वतः ही दिनांक 31.03.2010 को समाप्त समझी जायेगी।

हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम......................................

...